



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01082025-265166
CG-MH-E-01082025-265166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3468]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947

No. 3468]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 31 जुलाई, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20E के तहत

का.आ. 3552(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11)(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 20 सितम्बर 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 4381 (E) तारीख 19 सितम्बर 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "पाचोरा - जामनेर नैरो गेज से ब्रॉड गेज और मलकापुर तक विस्तार के साथ (84.34Km)" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी ।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (१) (यूटीपीएच) जलगांव, जिला दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात् “दैनिक देशोन्नती” और “पुण्यनगरी” में तारीख 18-07-2024 को प्रकाशित किया गया था।

और, सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे, सक्षम अधिकारी द्वारा उन आक्षेपों कि सुनवाई कि गयी एवं उक्त अधिनियम की धारा 20ड के अनुसार मे आदेश पारित कर दिये गए हे.

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के अंतर्गत 01 गाँव का विशेष रेल परियोजना “पाचोरा - जामनेर नैरो गेज से ब्रॉड गेज और मलकापुर तक विस्तार के साथ (84.34 Km)” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	कब्जेदारा का नाम	सर्वे नं/ गट नं.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादीत क्षेत्र (हे.आर.)
1	05/24	सोनारी	जामनेर	भिवसन तुळशीराम ठोकणे	21/1	2.44	0.53
2				राजू संतोष कचाटे, रामराव संतोष कचाटे, गोपाळ संतोष कचाटे, मोहन संतोष कचाटे, मीराबाई संजय ठाकरे, अनुराधाबाई राजेंद्र बावस्कर	31	2.82	0.67
3				गोपाळ शिवराम दहातोंडे, शांताबाई शिवराम दहातोंडे, बाळू शिवराम दहातोंडे, वत्सलाबाई भागवत पालवे, शकुंतला सुभाष कुसुंबे	32/2/1	1.61	0.75
4				रामचंद्र प्रल्हाद घ्यार	65	4.08	1.26
5				विमलाबाई लक्ष्मण घ्यार, राजेश लक्ष्मण घ्यार, अनिल लक्ष्मण घ्यार, सविता लक्ष्मण घ्यार	66	4.37	1.03
6				रमेश नामदेव कचाटे, सुरेश नामदेव कचाटे	75	3.23	0.70
7				शामराव त्रंबक नानोटे, भास्कर त्रंबक नानोटे, सरलाबाई देविदास, कल्पना युवराज वंजारी	76	2.26	0.50
8				संताजी नामदेव घ्यार	77/1/अ	1.02	0.60

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	कब्जेदारा का नाम	सर्वे नं/ गट नं.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादीत क्षेत्र (हे.आर.)
9				बाळासाहेब लक्ष्मण परखळ, रंगनाथ लक्ष्मण परखळ, सुरेश लक्ष्मण परखळ, प्रकाश लक्ष्मण परखळ, शोभा रमाकांत काळे	78	1.21	0.38
10				रेखा राजेंद्र किरोते	79 पै	0.84	0.04
11				रंजनाबाई विजय किरोते, सुरेखा रवींद्र शेळके	79 पै	0.85	0.09
					कुल	24.73 हे.आर	6.55 हे.आर
					कुल योग	24.73 हे.आर	6.55 हे.आर

[फा. सं. G197/GOM/PC-Jamner/sonari/July/20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st July, 2025

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 3552(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 4381 (E) dated 19th September 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 20th September 2022 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Pachora-Jamner with Extension upto Malkapur-Narrow Gauge to Broad Gauge (84.34 Km)** in the district of **Jalgaon** in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in for SLAO(1) UTPH.Jalgaon **daily Marathi newspapers namely “Dainik Deshonnati” & “Punyanagari”** Dated 18-07-2024 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received. Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of Section D of the said act;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of **Pachora-Jamner with Extension upto Malkapur-Narrow Gauge to Broad Gauge** for 01 village in the District **Jalgaon** in the State of Maharashtra.

S.No.	Land Acquisition Proposal No.	Village Name	Taluka	Land Owner's/Occupiers Name	Survey No./ Gatt No.	Area According to 7/12 Extract (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
1	05/24	Sonari	Jamner	Bhivsan Tulshiram Dhokne	21/1	2.44	0.53
2				Raju Santosh Kachate, Ramrao Santosh Kachate, Mohan Santosh Kachate, Mirabai Sanjay Thakre, Anuradhabai Rajendra Bavaskar	31	2.82	0.67
3				Gopal Shivram Dahatonde, Shantabai Shivram Dahatonde, Balu Shivram Dahatonde, Vastalabai Bhagwat Palve, Shakuntala Subhash Kusumbe	32/2/1	1.61	0.75
4				Ramchandra Pralhad Ghyar	65	4.08	1.26
5				Vimlabai Laxman Ghyar, Rajesh Laxman Ghyar, Anil Laxman Ghyar, Savita Laxman Gyar	66	4.37	1.03
6				Ramesh Namdev Kachate, Suresh Namdev Kachate	75	3.23	0.70
7				Shamrao Trambuk Nanote, Bhaskar Trambuk Nanote, Sarlabai Devidas, Kalpana Yuvraj Vanjari	76	2.26	0.50
8				Santaji Namdev Ghyar	77/1/A	1.02	0.60
9				Balasaheb Laxman Parkhal, Ranganath Laxman Parkhal, Suresh Laxman Parkhal, Prakash Laxman Parkhal, Shobha Ramakant Kale	78	1.21	0.38
10				Rekha Rajendra Kirote	79	0.84	0.04
11				Ranjanabai Vijay Kirote, Surekha Ravindra Shelke	79	0.85	0.09
				Total		24.73 Ha.	6.55 Ha.
				Grand Total		24.73 Ha.	6.55 Ha.

[F. No. G197/GOM/PC-Jamner/sonari/July/20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)